BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 04 अप्रैल 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी कर गैंगस्टर के आरोपी को 02 वर्ष का कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त अभिषेक उर्फ शिवम पुत्र अरविन्द निवासी ग्राम सीकरी खुर्द थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद द्वारा संगठित गिरोह बनाकर समाज में भय व आतंक व्याप्त करना व अवैध रुप से धन अर्जित करना व समाज विरोध क्रियाकलापों में संलिप्त होने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 27.12.2021 को थाना कोतवाली देहात पर मुअसं- 1913/21 धारा- 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 30.01.2023 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 04.04.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे-08 स्पेशल गैंगस्टर एक्ट जनपद बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अभिषेक उर्फ शिवम को 02 वर्ष का कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री योगेश कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

अभियुक्त अभिषेक उर्फ शिवम का आपराधिक इतिहास

1. मुअसं- 83/21 धारा 379/411 भादवि थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद।
2. मुअसं- 526/21 धारा 379/411 भादवि थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद।
3. मुअसं- 791/21 धारा 379/411 भादवि थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद।
4. मुअसं- 796/21 धारा 379/411 भादवि थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद।
5. मुअसं- 850/21 धारा 379/411 भादवि थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद।
6. मुअसं- 923/21 धारा 379/411 भादवि थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद।
7. मुअसं- 1062/21 धारा 379/411 भादवि थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद।

8. मुअसं- 1630/21 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
9. मुअसं- 1632/21 धारा 379/413/414/420/467/468/471 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
10. मुअसं- 1723/21 धारा 379/411 भादवि थाना इन्द्रापुरम जनपद गाजियाबाद।
11. मुअसं- 1913/21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

मीडिया सेल बुलन्दशहर